दिनांक 12.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 12/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी कर बेचे गये 32 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टाफ के पास से शातिर अभियुक्त रजीउल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से धोखाधड़ी कर बेचे गये 32 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका आर0आर0 कार बाजार टूर एण्ड ट्रेवेल्स नाम से लखनऊ में आफिस है जहां पर वह वाहन स्वामियों से ट्रेवेल्स में गाड़ियों को लगवाकर 2–3 माह तक प्रतिमाह रूपये देता था। इस दौरान धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से चार पहिया वाहनों को ग्राहक मिलने पर बेच देता था।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रजीउल्ला नि0 मो0 बांसगांव महोली थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी कर बेचे गये 32 चार पहिया वाहन।

जनपद बिजनौर/थाना हल्दौर

- **पुलिस कार्यवाही में 12 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 24 मोटर साइकिल**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना हल्दौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हल्दौर क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में 12 अभियुक्तों 1–सन्जू 2–मनोरभ 3–नकुल 4–अमित 5–कामेन्द्र उर्फ राजू 6–सौरभ कुमार 7–अब्दुल हन्नान को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अन्य अभियुक्तों 8–अनमोल 9–विशाल कुमार 10–उज्जवल कुमार 11–तरूण 12–सोमेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट/चोरी के 24 मोटर साइकिल, लूट के 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा, 02 जीवित व 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जो जनपद के आस–पास क्षेत्रो से वाहन चोरी कर, फर्जी कागजात तैयार कराकर ग्राहक मिलने पर बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सन्जू निवासी सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2–मनोरभ निवासी मोहल्ला भरत विहार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3–नकुल निवासी तिमरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4–अमित निवासी तिमरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

5–कामेन्द्र उर्फ राजू निवासी सादीपुरकलां उर्फ प्रेमनगर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

6–सौरभ कुमार निवासी ग्राम बेरखेडा चौहान थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

7–अब्दुल हन्नान निवासी किरार खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

8–अनमोल निवासी सादीपुर कलां उर्फ प्रेमनगर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

9–विशाल कुमार निवासी ग्राम मंडोरा जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

10–उज्जवल कुमार निवासी ग्राम हरदासपुर गढ़ी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

11–तरूण निवासी मौ0 बाडवान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

12–सामेन्द्र निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 24 मोटर साइकिल।

2–लूट के 02 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदर बाजार

- **05 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 80 लाख रूपये कीमत की 02 किलो 850 ग्राम अवैध चरस, 08 किलो 435 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाईपास हाईवे पर डाक की पुलिया के पास से 05 मादक पदार्थ तस्करों 1–दिनेश 2–लालू 3–मनीष कुमार 4–अजय 5–सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 80 लाख रूपये कीमत की 02 किलो 850 ग्राम अवैध चरस, 08 किलो 435 ग्राम अवैध गांजा, 01 कार, 06 इलैक्ट्रिक तराजू, 06 मोबाइल फोन व 04 एटीएम कार्ड बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिनेश निवासी मो0 गल्ला मण्डी नवाबगंज थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

2—लालू निवासी थाल खुर्द थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

3—मनीष कुमार निवासी बडनापुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

4—अजय निवासी चिनौर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहॉपुर।

5—सूरज निवासी चिरौन्धा थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 02 करोड़ 80 लाख रूपये कीमत की 02 किलो 850 ग्राम अवैध चरस, 08 किलो 435 ग्राम अवैध गांजा।

2— 01 कार।

3—06 इलैक्ट्रिक तराजू।

4— 06 मोबाइल फोन।

5— 04 एटीएम कार्ड।

जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2021 को थाना पैकोलिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गजियापुर मोड़ पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पैकोलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2021 धारा 307/504/506/427/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम उर्फ कल्लू नि0 बहवा कलानी थाना छावनी जनपद बस्ती।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2021 को थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करहल रोड एनएच–2 के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोलू उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोलू उर्फ प्रदीप नि0 सोथरा रोड फ्रैन्ड कालोनी कस्बा व थाना सिरसागंज फिरोजाबाद।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम महिबुल्लापुर कैरावली के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बंटू उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 886/2020 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– बंटू उर्फ नेपाली नि0 महिबुल्लापुर कैरावली थाना सिरसागंज फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व चोरी के 30,000 रू0 नगद बरामद**

दिनांक 12.06.2021 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कविनगर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व चोरी के 30,000 रू0 नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कविनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश नि0 ग्राम भोला की झाल थाना जानी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व चोरी के 30,000 रू0 नगद।

जनपद बलिया/थाना सिकंदरपुर

- **15–15 हजार रूपये के 08 पुरस्कार घोषित सहित 09 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2021 को थाना सिकंदरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसारिखपुर से 08 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–शेख फैयाज 2–टुनटुन 3–मुन्ना 4–सलीम उर्फ बुलेट 5–सद्दाम 6–शेख फिरोज 7–जोगेन्द्र 8–सुनील एवं अन्य अभियुक्त 9–राकेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त 1–शेख फैयाज 2–टुनटुन 3–मुन्ना 4–सलीम उर्फ बुलेट 5–सद्दाम 6–शेख फिरोज 7–जोगेन्द्र 8–सुनील थाना सिकंदरपुर से वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंदरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शेख फैयाज निवासी बसारिखपुर थाना सिकंदपुर जनपद बलिया।

2–टुनटुन निवासी बसारिखपुर थाना सिकंदपुर जनपद बलिया।

3–मुन्ना निवासी बसारिखपुर थाना सिकंदपुर जनपद बलिया।

4–सलीम उर्फ बुलेट निवासी बसारिखपुर थाना सिकंदपुर जनपद बलिया।

5–सद्दाम निवासी बसारिखपुर थाना सिकंदपुर जनपद बलिया।

6–शेख फिरोज निवासी बसारिखपुर थाना सिकंदपुर जनपद बलिया।

7–जोगेन्द्र निवासी सहुलाई थाना पकड़ी जनपद बलिया।

8–सुनील निवासी रक्शा डैनिया थाना पकड़ी जनपद बलिया।

9–राकेश निवासी इन्दासो थाना नगरा जनपद बलिया।

जनपद बलिया/थाना नरही

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2021 को थाना नरही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरौली चौराहा गोलम्बर के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–हामिद रजा 2–आकिब रजा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0–163/2020 धारा 419/420/406 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नरही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हामिद रजा निवासी त्रिलोकपुरी, हिम्मतपुरी थाना मयूर बिहार फेज–1 पूर्वी दिल्ली, मूल निवासी फुलवारी शरीफ रोड थाना फुलवारी शरीफ जनपद पटना, बिहार।

2–आकिब रजा निवासी त्रिलोकपुरी, हिम्मतपुरी थाना मयूर बिहार फेज–1 पूर्वी दिल्ली, मूल निवासी फुलवारी शरीफ रोड थाना फुलवारी शरीफ जनपद पटना, बिहार।

जनपद बिजनौर/थाना मंडावर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2021 को थाना मंडावर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंडावर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मंडावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 189/2020 धारा 302/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंडावर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहिद हसन निवासी मोहल्ला सभा बाजार कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

जनपद देवरिया/थाना खुखुन्दू

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2021 को थाना खुखुन्दू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सोनूघाट चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त करन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 250/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन निवासी चकिया ढाला थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना मालीपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2021 की रात्रि थाना मालीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेमपुर घाट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सिराज अहमद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मालीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 26/2020 धारा 376/323/504/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मालीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सिराज अहमद निवासी ग्राम हुसैनपुर विपहन थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर ।

एसटीएफःकई वर्षो से सचिवालय का फर्जी अधिकारी बनकर क्षेत्रिय अधिकारियों पर अनुचित दबाव व झांसा देकर अवैध कार्य/दलाली कराने वाला अपराधी गिरफ्तार

दिनाकः 11.06.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को कई वर्षो से सचिवालय का फर्जी अधिकारी बनकर कर क्षेत्रिय अधिकारियों पर अनुचित दबाव व झांसा देकर अवैध कार्य/दलाली कराने वाला अपराधी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

हिमांशु शुक्ला पुत्र ज्ञान चन्द्र शुक्ला, निवासी– ए–906, आकाश इन्कलेव एपार्टमेन्ट, वृन्दावन, सेक्टर–06, लखनऊ।

बरामदगी :-

1— एक अदद मोबाइल फोन।
2— एक अदद कूटरचित पहचान पत्र।
3— एक अदद कूटरचित निलम्बन पत्र
4— एक अदद कूटरचित नियुक्ति पत्र
5— एक अदद आधार कार्ड ।
6— एक अदद वोटर कार्ड।
7— एक अदद डी0एल0 ।
8— 1100/— रूपये नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः-

दिनांक 11.06.2021 समय 23:35 बजे, एस0टी0एफ0 कार्यालय से

विगत दिनों से उ0प्र0 शासन की छवि को धूमिल करने वाले दलालों/शासन का अधिकारी बनकर अवैध कार्य/दलाली कराने वाले अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना के सम्बन्ध मे शासन द्वारा जनपद मिर्जापुर के अधिकारियों से शासन के वरिष्ठ अधिकारी का ओ0एस0डी0 बनकर अनुचित दबाव बनाने के सम्बन्ध मे एक जांच दी गई थी। जिसके क्रम मे श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन हेतु निर्देशित किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान जनपद मिर्जापुर के अधिकारियों से ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो अपने आपको प्रमुख सचिव का ओएसडी बताकर अपने अवैध कार्यो को शीघ्र कराने हेतु अनुचित दबाव बना रहा है तथा साथ ही शासन से विभिन्न अनुचित कार्य (मनचाहा स्थानान्तरण, प्रमोशन आदि) कराने का प्रलोभन दे रहा है। इस व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया सरकारी सीयूजी सिरीज की छानबीन करने पर पाया कि कॉल रिसिव करने वाले व्यक्ति की स्क्रिन पर ओएसडी प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन प्रदर्शित होता है। जिसके बाद इस व्यक्ति के निवास का पता कर सम्पर्क किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि मैं पूर्व मे सचिवालय के गृह विभाग मे नियुक्त रह चुका हूँ, इसलिए मेरा फोन पर वही परिचय प्रदर्शित होता है। जबकि मै वर्तमान मे अपर निजी सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, बापू भवन, पंचम तल, उ0प्र0 शासन लखनऊ मे कार्यरत हूँ। इसी के सम्बन्ध मे उसने अपना उ0प्र0 सचिवालय के नाम से निर्गत अपना परिचय पत्र दिखाया तथा बताया कि मेरा व्यक्तिगत काम मिर्जापुर जनपद मे था परन्तु जनपदीय अधिकारी सही काम नही कर रहे थे इसलिए मेरे द्वारा काम करने हेतु सख्त लहजे मे कहा गया था। इसी से क्षुब्ध

होकर शिकायत की गई है। उसके द्वारा बडे ही विश्वास दिखाते हुए अधिकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि हम आपको अपना नियुक्ति पत्र प्रेषित कर देंगे तथा सचिवालय मे प्रत्यके स्तर के विभिन्न अधिकारियो से अपनी नियुक्ति का सत्यापन करा देंगे। सचिवालय के एक अधिकारी को फर्जी सूचना के आधार पर आप लोगों द्वारा नाहक ही परेशान किया जा रहा है। आपकों जैसी भी रिपोर्ट भेजनी हो आप मेरे खिलाफ भेज देना। जिस पर एसटीएफ की टीम द्वारा गहनतापूर्वक का जांच करने पर पाया कि उपरोक्त व्यक्ति पूर्णत फर्जी अधिकारी है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार से कूटरचना कर दस्तावेज तैयार किये गये है, जिसका प्रयोग यह लम्बे समय से उपरोक्त अवैध कार्यो के लिए कर रहा है। इस पर इसे पुनः एसटीएफ कार्यालय पर मूल दस्तावेजों सहित बुलाने पर वह बहुत आत्मविश्वास के साथ कार्यालय मे दिनांक 11.06.2021 को उपस्थित हुआ। जब एसटीएफ टीम द्वारा एक—एक कर इसके द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध मे तर्क पूर्ण प्रश्न किये तो कुछ समय की टाल मटोल के बाद स्वतः ही अपने फर्जी होने की बात स्वीकार कर ली।

पूछताछ पर बताया कि मेरे द्वारा बी—टेक करने के बाद कुछ समय प्रापर्टी से सम्बन्धित फर्मो मे काम किया गया, उसके बाद मै सचिवालय के कर्मचारियों के सम्पर्क मे आया तथा संविदा पर अनुसेवक के तौर पर लगभग 02वर्ष तक काम किया, जहॉ पर मेरे कई लोगो से परिचय हो गये तथा मुझे यह लालच आ गया कि मैं सचिवालय का अधिकारी बन लोगो को झांसा देकर काफी धन प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेरे द्वारा उपरोक्त दस्तावेज तैयार किये गये तथा विगत कई वर्षो से मेरे द्वारा धोखाधडी की गयी ।

अभियुक्त द्वारा की गयी अन्य धोखा—धड़ियों के सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उपरोक्त के आधार पर अभियुक्त हिमांशु शुक्ला को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध थाना विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, जनपद लखनऊ मे मु0अ0सं0 289/2021 धारा 419/420/467/468/471/170 भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————